न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :—स्वाति गुप्ताआर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 020/2024

1 गुरदेवसिह पुत्र दयाल सिह जाति जटसिख निवासी तारासिह वाली ढाणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

— — प्रार्थी

बनाम

1. गुरसन्त सिह पुत्र दयालसिह जाति जटसिख निवासी तारासिह वाली ढाणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

— — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क)

उपस्थित अभिभाषकगण:—

1. श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता — —प्रार्थी
2. श्री करनैल सिंह अधिवक्ता — —अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक :—28.8.2024

प्रार्थी गुरदेव ने अप्रार्थीगण के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र 251ए आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि प्रार्थी के नाम से चक नम्बर 13 जी.जी.आर. के खाता संख्या 51/46 में पत्थर नम्बर 195/275(16) किला नम्बर 8/1/0.054, 8/2/0.143, 8/3/0.056, 14, 15, 24/1/0.096, 24/2/0.157 कुल 1.012 हैक्टर आराजी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

अप्रार्थी संख्या 1 के नाम चक नंम्बर 13 जी.जी.आर. के खाता संख्या 87/46 में पत्थर नम्बर 195/274 (15) किला नम्बर 15, 16, पत्थर नम्बर 195/275(16) किला नम्बर 2/4/0.063, 9/4/0.062 कुल 0.631 हैक्टर आराजी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टिब्बी

प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी चक नम्बर 13 जी.जी.आर. पत्थर नम्बर 195/275(16) किला नम्बर 9/4/0.062 हैक्टर में से चालू रास्ता से होकर अपनी भूमि चक 13 जी.जी.आर. पत्थर नम्बर 195/275(16) किला नम्बर 8 में प्रवेश करता आ रहा है उपरोक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी को उपलब्ध नही है। उपरोक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत नही होने से प्रार्थी को काफी परेशानी होती है व रास्ता के अभाव में प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:18:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अपनी भूमि में कृषि यन्त्र नही ला व ले जा सकता है व अपनी भूमि को सही ढंग से काश्त नही कर सकता है। इसलिए प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि वाके चक नम्बर 13 जी.जी.आर. के पत्थर नम्बर 195/275(16) किला नम्बर 9/4/0.062 हैक्टर में से 20 फुट चौड़ा व 61 फुट लम्बा यानि 0.011 हैक्टर पूर्व से पश्चिम, उतरी दिशा की तरफ स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अंकन करवाने का अनुतोष चाहा है। प्रार्थी रास्ता की भूमि के बदल में अप्रार्थी को डी.एल.सी रेट की दोगुनी राशि या चिपती हुई भूमि देने के लिए तैयार है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है व अन्दर मियाद तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए. पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि चक नम्बर 13 जी.जी.आर. के पत्थर नम्बर 195/275(16) किला नम्बर 9/4/0.062 हैक्टर में से 20 फुट चौड़ा व 61 फुट लम्बा यानि 0.011 हैक्टर पूर्व से पश्चिम, उतरी दिशा की तरफ रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अंकन किये जाने का आदेश फरमावे।

उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना–पत्र पेश होने पर सरिस्ता की रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में तहसीलदार राजस्व से रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपना जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी चक नम्बर 13 जी.जी.आर. के पत्थर नम्बर 195/275(16) किला नम्बर 9/4/0.062 हैक्टर में से चालू रास्ता से होकर अपनी भूमि चक नम्बर 13 जी.जी.आर. के पत्थर नम्बर 195/275(16) किला नंम्बर 8 में प्रवेश करता आ रहा है उपरोक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी को उपलब्ध नही है। उपरोक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत नही है। इसलिए मुझ अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि वाके चक नम्बर 13 जी.जी.आर. के पत्थर नम्बर 195/275(16) किला नम्बर 9/4/0.062 हैक्टर में से 20 फुट चौड़ा व 61 फुट लम्बा यानि .011 हैक्टर पूर्व से पश्चिम, उतरी दिशा की तरफ स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 रास्ता का अंकन किया जाता है, इस अप्रार्थी को कोई उज्र व एतराज नही है। रास्ता में आई भूमि के बदले में मुझ अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी से राशि प्राप्त कर ली है। इसी अनुसार हमारा आपस में राजीनामा हो गया है। तहसीलदार राजस्व, टिब्बी की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:18:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सहमति का जवाब प्रार्थना पत्र व पत्रावली मे संलग्न जमाबन्दीयों व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र, व तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी के जवाब प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। रास्ता की आत्यांतिक आवश्यकता व वैकल्पिक रास्ते के अभाव के मद्देनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

प्रार्थी एवम् अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये जबाब प्रार्थना–पत्र मय राजीनामा के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य पाये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) के अन्तर्गत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 गुरसन्त की कृषि भूमि चक नम्बर 13 जी.जी. आर. के पत्थर नम्बर 195/275(16) किला नम्बर 9/4/0.062 हैक्टर में से 20 फुट चौड़ा व 61 फुट लम्बा यानि 0.011 हैक्टर पूर्व से पश्चिम, उतरी दिशा की तरफ रास्ता स्वीकृत किया जाकर रास्ता का राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अंकन करने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:18:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner